इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 559] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 14, शक 1936

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-16-2-2014-बाईस-पं-2.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 में जोकि उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा 32 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 26 नवम्बर 2014 द्वारा पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3 में,—

(1) उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(3)(क) जिला पंचायत के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) का पद प्रथम निर्वाचन में उन जिला पंचायतों में अवरोही क्रम में आरक्षित रखा जाएगा जिनमें, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत, उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात में अधिक हो, तत्पश्चात आगामी निर्वाचनों में चक्रानुक्रम पद्धति के अनुसार ऐसे जिला पंचायतों में यथास्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ये पद आरक्षित होंगे जहां उनकी जनसंख्या एक लाख से कम न हो. प्रत्येक दस वर्षों में होने वाली जनगणना के नवीनतम अधिकृत रूप से प्रकाशित आंकड़ों पर पुन: अवरोही क्रम से आरक्षण व्यवस्था नये सिरे से पुन: लागू होगी:

परन्तु अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए अध्यक्ष (चेयरपर्सन) का पद धारा 129-ङ के उपबंधों के अनुसार आरक्षित रखा जाएगा :

परन्तु यह और कि यथास्थिति, उन जिला पंचायतों या जनपद पंचायतों को, जिनमें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए या इन प्रवर्गों में से किसी भी प्रवर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है, यथास्थिति, ऐसी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों या इन प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग की महिलाओं के लिए अध्यक्ष (चेयरपर्सन) के पदों के आरक्षण के लिए लाट निकालने से अपवर्जित कर दिया जाएगा.

(ख) अन्य पिछड़े वर्गों के लिये लाट द्वारा चक्रानुक्रम में पद आरक्षित रखे जाएंगे;

(ग) जिला पंचायत में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के प्रवर्गों के लिए सामान्य स्थानों के साथ-साथ प्रत्येक प्रवर्ग में आरक्षित रखे जाने वाले स्थानों में, स्थानों की कुल संख्या के आधे स्थान, महिलाओं के लिए चक्रानुक्रम में लाट निकालकर आरक्षित किए जाएंगे.'';

(2) उपनियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(6) पश्चात्वर्ती सामान्य निर्वाचन में, पूर्व में आरक्षित जिला पंचायतें, उस विशिष्ट प्रवर्ग के लिए लाट निकालने से अपवर्जित कर दी जाएगी.'';

No. F-16-2-2014-XXII-P-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with Section 32 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government, hereby make the following amendment in the Madhya Pradesh Panchayat (Up Sarpanch, President and Vice-President) Nirvachan Niyam, 1995, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette dated 26-11-2014 as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 3,—

(1) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted namely:—

"3(a) The post of Chairman in the first election, shall be reserved in descending order for the Schedule Caste/Schedule Tribe in those districts where the population of such Schedule Caste/Schedule Tribe, as the case may be, is more in percentage with respect to their total population in those districts, thereafter in subsequent elections, the post shall be reserved by rotation for SC/ST in those districts, as the case may be, where such population of SC/ST is not less than one lakh. After the authorized latest publication of census data every ten year, the reservation shall be made afresh in descending order for Schedule Caste/Schedule Tribe in such above manner :

Provided that in Scheduled Areas, the office of Chairperson for Scheduled Tribes shall be reserved in accordance with the provisions of Section 129-E :

Provided further that the Zila Panchayat or Janpad Panchayat, as the case may be, where there is no reservation of seats for Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes as the case may be, or of women belonging to any of these categories, shall be excluded from drawing of lots for the reservation of Office of Chairperson for such Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes or of women belonging to any of these categories as the case may be.

(b) The seats shall be reserved for other Backward Classes by rotation by drawing of lots;

(c) The seats are to be reserved in Zila Panchayat for Categories of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and in each category alongwith general seat, half of the total number of seats shall be reserved by rotation for women by drawing of lots." ;

(2) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

(6) In subsequent general election, the Zila Panchayats previously reserved shall be excluded from drawing lots, for that particular categories."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ब्रजेश कुमार, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.